बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

श्री बेचन राम, तत्कालीन उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सेवा निवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–678 दिनांक–26.02.2010 द्वारा उनपर प्रमाणित आरोपों के लिए दण्डित करने का निर्णय लेते हुए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43'बी' के तहत उनके देय पेंशन की 75 % (पचहत्तर प्रतिशत) राशि कटौती का दण्डादेश पारित किया गया ।

उक्त दण्डादेश के विरूद्ध श्री बेचन राम के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No. 10949/2010 दायर किया गया । CWJC No. 10949/2010 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–17.11.2011 को आदेश पारित किया गया, जिसमें उक्त अधिरोपित दण्ड पेंशन की राशि की कटौती 75% (पचहत्तर प्रतिशत) के स्थान पर 25% (पचीस प्रतिशत) करने का आदेश पारित किया गया ।

माननीय उच्च न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा एल0पी0ए0 संख्या–687/2012 दायर किया गया साथ हीं श्री बेचन राम द्वारा भी इस संबंध में एल0पी0ए0 संख्या–924/2012 दायर किया गया । माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–8.9.2014 को पारित आदेश द्वारा उक्त दोनो एल0पी0ए0 को खारिज कर दिया गया ।

एल0पी0ए0 संख्या–687/2012 में पारित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में SLP(C) No.9186/2015 दायर किया गया । उक्त SLP में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 20.03.15 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया :--

" The impugned order is modified to the extant that the Respondent shall be entitled to retiral benefits after deduction of 50% only. We further direct that the arrears of retiral benefits be paid to the Respondent within a period of three months from today."

1. माननीय सर्बोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में श्री बेचन राम अवकाश प्राप्त उप श्रमायुक्त को सेवान्त लाभ का 50 % की राशि भुगतान करने का आदेश पारित किया जाता है ।

2. संकल्प संख्या–678 दिनांक–26.2.2010 इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

3. प्रस्ताव में माननीय मुख्य मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री बेचन राम, उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सेवा निवृत को उनके आवास क्वार्टर नं0–बी/134 (हाऊसिंग) शिव कुँज, लोहियानगर, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना–20 को निबंधित डाक से उपलब्ध कराया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

23.6.15

सरकार के अपर सचिव

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, इ गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं एक सी0डी0 सहित राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित ।

उनसे अनुरोध है कि उक्त राजपत्र की अतिरिक्त दस प्रति अधोहस्ताक्षरी को भेजने का कष्ट किया जाय ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

निबंधित ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– श्री बेचन राम, उप श्रमायुक्त (कृषि श्रमिक) भागलपुर सम्प्रति सेवा निवृत को उनके आवास क्वार्टर नं0– बी/134(हाउसिंग) शिवकुंज, लोहियानगर, कंकड़बाग कॉलोनी, पटना–20 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग/ श्रमायुक्त, बिहार/ अपर सचिव, प्रभारी, प्रशाखा–1,6/ विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी मुख्यालय स्थापना/ उप सचिव, प्रभारी प्रशाखा–1,2,3,4 एवं गोपनीय चारित्री/ लोक सूचना पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी (सरकार पक्ष)/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

उप सचिव प्रभारी प्रशाखा–1 को निदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के आलोक में शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 12/2010(खंड संचिका–II) श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री (श्रम संसाधन विभाग)के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 5027/2002श्र0सं0 1705 पटना, दिनांक 23.6.15

प्रतिलिपि– माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव